प्रेस विज्ञप्ति

18/06/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 17.06.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और नवी मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 44 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड को फ्रीज किया गया और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा 16.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।

ईडी ने जे एम म्हात्रे और सैय्यद मोहम्मद अब्दुल हामिद कादरी के खिलाफ पनवेल पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मामला वन भूमि के अवैध अधिग्रहण और उसके बाद एनएचएआई को अवैध हस्तांतरण तथा आरोपियों द्वारा भूमि मुआवजे का गलत दावा करने से संबंधित है। विषय वस्तु के अंतर्गत भूमि मौजे वहल, तालुका पनवेल, जिला- रायगढ़ (विषय भूमि) के सर्वे नंबर 427/1 (क्षेत्रफल 41.70 हेक्टेयर) और 436/1 (क्षेत्रफल 110.60 हेक्टेयर) पर है।

ईडी की जांच से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में महाराष्ट्र निजी वन (अधिग्रहण) अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तथा उसके बाद 7/12 उद्धरण(एक्सट्रैक्ट) में मालिक का नाम बदलकर वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार कर दिया गया। इसके बाद, विषय भूमि की म्यूटेशन प्रविष्टि में छेड़छाड़ की गई तथा मालिक का नाम अर्थात वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार को अवैध रूप से आरोपी के नाम से बदल दिया गया। इसके अलावा, भूमि का कुछ हिस्सा अवैध रूप से एनएचएआई को बेच दिया गया, जिसके लिए म्हात्रे को 42.4 करोड़ रुपये का अवैध मुआवजा मिला तथा कादरी को 9.69 करोड़ रुपये का अवैध मुआवजा मिला।

मामले में मुख्य आरोपी जे एम म्हात्रे हैं। वह एक व्यवसायी और स्थानीय जमींदार हैं। वह मेसर्स जे एम म्हात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।